

पत्रांक: 558 / जि०उ०प्र०तथाउ०वि०के०(गा०)/नि०औ०पा०/2024-25

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र
गाजीपुर। 23-12-2024

पूजा राय,
निदेशक,
ई-अन्नदाता वेलफेयर एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि०
गाजीपुर।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक ईएएनएन/2412/329 दिनांक 20.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि जनपद-गाजीपुर में निजी औद्योगिक पार्क को विकसित करना चाहती हूँ, जिसके लिए दिशा-निर्देश की अपेक्षा की गई है।

उक्त सन्दर्भ में आपको अनुदेशित किया जाता है कि जनपद में आद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु शासनादेश के अनुसार कम से कम 10 एकड़ अधिकतम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ती है। कृपया भूमि आदि दस्तावेज अधोहरताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराये, जिसका परीक्षण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक: शासनादेश की प्रति


(प्रवीण कुमार मौर्य)

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र,
गाजीपुर।